न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 16/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

भैराराम वगैरा बनाम खुमाणगर वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री नरेश भादू

निर्णय दिनांक – 05.06.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प पोकरासर में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा पोकरासर, पटवार क्षेत्र पोकरासर, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 604/318 रकबा 197.10, ख.न. 873/318 रकबा 42.00, ख.न. 606/318 रकबा 81.00, ख.न. 605/318 रकबा 81.00 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा पोकरासर, पटवार क्षेत्र पोकरासर, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 604/318 रकबा 197.10, ख.न. 873/318 रकबा 42.00, ख.न. 606/318 रकबा 81.00, ख.न. 605/318 रकबा 81.00 बीघा में भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प पोकरासर में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1378 दिनांक 15.6.18

प्रार्थीगण :-

1. भेराराम पुत्र रावताराम
2. गेरो देवी पत्नी मंगनाराम
3. मेसूराम पुत्र गोरधनराम
4. मंगलाराम पुत्र गोरधनराम
5. गुला पुत्र गोरधनराम
6. देवाराम पुत्र गोरधनराम
7. उदी देवी पत्नी रावताराम

जाति मेघवाल निवासी पोकरासर तहसीलः– चौहटन जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगणः-

1 खुमाणगर पुत्र हंस गर 2. गोमगर पुत्र खेतगर जाति स्वामी निवासी धीरासर पोकरासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 3. हुकमाराम पुत्र अमराराम 4. जोराराम पुत्र अमराराम 5.मंगनाराम पुत्र पीराराम 6.गुणेशाराम पुत्र पीराराम 7. चुतराराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी पोकरासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 8. जीवाराम पुत्र रूपाराम 9. धर्माराम पुत्र रूपाराम 10. डालूराम पुत्र रूपाराम 11. गैनाराम पुत्र रूपाराम 12. केसराराम पुत्र रूपाराम 13. लालाराम पुत्र फुसाराम 14. विशनाराम पुत्र गुमनाराम 15. हनुमानराम पुत्र मूलाराम 16. ठाकराराम पुत्र मूलाराम 17. तोगाराम पुत्र मूलाराम 18. धापू देवी पत्नी मूलाराम 19. सिणगारी पत्नि मघाराम 20. धनाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी पोकरासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 21. भगवानाराम पुत्र मेहराराम 22. लाखाराम पुत्र मेहराराम 23. बाबूराम पुत्र लाधाराम जाति मेघवाल निवासी पोकरासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 16/2018 दिनांक : 05.06.2018

आदेश

तहसीलदार चोहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चोहटन, पटवार क्षेत्र पोकरासर मौजा पोकरासर के खेत खसरा नंबर 604/318 रकबा 197.10, ख.न. 873/318 रकबा 42.00, ख.न. 606/318 रकबा 81.00, ख.न. 605/318 रकबा 81.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चोहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है | कमिशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे | नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चोहटन

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1379-82 दिनांक 15.6.18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चोहटन
2. प्रार्थीगण भेराराम वगेरा
3. विप्रार्थीगण खुमाणगर वगेरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चोहटन
उपखण्ड अधिकारी चोहटन